

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1 से 6

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना अंतर्गत वेतन भत्ते इत्यादि हेतु ₹ 51.06 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 7

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु 5,000.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 8

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत RSETI परियोजना हेतु केन्द्रांश ₹ 1,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु केन्द्रांश ₹ 177.58 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,77,58,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 से 20

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत वेतन भत्ते इत्यादि हेतु ₹ 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु राज्यांश ₹ 118.39 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,18,39,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 1,18,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 21 से 24

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 6 नवीन जिलों (जिला-सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़) में 55 पदों के सृजन पर वेतन भत्ते इत्यादि हेतु ₹ 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	मैट्रिक्स लेबल	रिमार्क
1	सहायक परियोजना अधिकारी	5	12	प्रतिनियुक्ति/संविदा
2	समन्वयक (शिकायत निवारण)	5	12	प्रतिनियुक्ति/संविदा
3	समन्वयक (तकनीकी)	5	12	प्रतिनियुक्ति/संविदा
4	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5	12	प्रतिनियुक्ति/संविदा
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	10	6	प्रतिनियुक्ति/संविदा
6	लेखापाल	5	6	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7	सहायक ग्रेड-3	10	4	प्रतिनियुक्ति/संविदा
8	भृत्य	10	1	संविदा
योग :-		55		

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लंबित EPF अंशदान के भुगतान हेतु ₹ 4000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,00,00,000 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 40,00,00,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25 से 33

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई हेतु ₹ 35.22 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 34 से 36

1. ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान योजना अंतर्गत वाहन किराये के लंबित भुगतान हेतु ₹ 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान योजना में नवीन मद अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगीयाँ, शासकीय अभिभाषकों को फीस मद में ₹ 5.00 लाख तथा न्यायालयीन प्रकरण पर होने वाले व्यय/विधि व्यय मद में ₹ 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण योजना अंतर्गत प्रदेश में निवासरत परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण हेतु ₹ 1000.00 लाख आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है तथा ₹ 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित ₹ 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 39

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा योजना अंतर्गत ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर में कार्यरत प्रोग्रामर के शुल्क भुगतान बाबत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगीयाँ, परामर्श शुल्क मद हेतु ₹ 11.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹ 1800.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना अंतर्गत सामुदायिक क्षेत्रों के ग्रामों में छत्तीसगढ़ी पर्व त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु ₹ 111.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,11,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 42

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण तथा संधारण कार्यो हेतु अनुरक्षण मद मे ₹ 20000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 43

ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान अंतर्गत क्रय किये गये 02 नग हल्के वाहनों के लंबित देयकों के भुगतान हेतु वाहनों का क्रय, प्रतिस्थापन मद अंतर्गत ₹ 13.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 44

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 05 सड़क निर्माण हेतु ₹ 350.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा का नाम	डी.पी.आर. अनुसार		
			सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	राशि (रू. लाख में)
1	रायगढ़	रायगढ़ (वि.ख.-पुसौर)	मल्दा से सोंडेकेला	2.50	211.31
2		खरसिया(वि.ख.-पुसौर)	एकताल मुख्य सड़क से लहंगापाली पहुंच मार्ग	1.40	113.15
3		लैलुंगा (वि.ख.-रायगढ़)	जुनवानी से छिरवानी	3.80	367.53
4	दुर्ग	पाटन	सतनामी पारा से ढोढापुर	1.50	232.97
5			मेन रोड़ से कुम्हार पारा से साहड़ा चौक(किकिरमेटा)	1.25	180.83

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत 02 सी.सी.सड़क सह नाली निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	लागत
1	दुर्ग	पाटन	सांतरा	मुख्य मार्ग से मुरली मनहरे घर तक	1.00	82.66
2			देमार	मुख्य मार्ग से भाटापारा तक	1.00	82.66

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।